संख्या—1472 / 9—आ—4—2000—51एन / 2000

प्रेषक,

**श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
**सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   **उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   **उत्तर प्रदेश**
3. **उपाध्यक्ष,**
   **विकास प्राधिकरण लखनऊ / देहरादून।**

आवास अनुभाग—4 लखनऊ : 29 अप्रैल, 2000

**विषय :नजूल भूमि पर निर्मित बहुमंजिले निर्माण को अलग—अलग किरायेदारों के पक्ष में फ्री—होल्ड किये जाने के सम्बन्द में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय जिलों से यह जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि नजूल भूमि पर निर्मित बहुमंजिले निर्माण को अलग—अलग किरायेदारों के पक्ष में फ्री होल्ड किये जाने हेतु क्या नीति निर्धारित की जाये तथा उनसे क्या आनुपातिक धनराशि ली जाये। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि दो मंजिल या इससे अधिक मंजिला भवनों (ऊपर नीचे, अलग—अलग किरायेदार की स्थिति में) की भूमि को फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा, वरन् शाश्वत लीज पर ही दिया जायेगा। अर्थात यदि भूमि के एक क्षेत्र पर एक से अधिक स्वतंत्र (इन्डिपेन्डेन्ट) फ्लैट हैं तो फ्री होल्ड नहीं किया जायेगा।

**भवदीय,**
**अतुल कुमार गुप्ता**
**सचिव।**

संख्या—1472(1) / 9—आ—4—2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, समस्त नगर प्रमुख, नगर निगम, उ0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

**आज्ञा से,**
**जावेद एहतेशाम**
**उप सचिव।**